

No. सीसीएल/महाप्रबंधक(अधिस्था)/प्रोन्ति/विंएवंया०/ई७-ई८/२४/ ७८३१-४५

दिनांक: ०७/०९/२०२४

### कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(V)/DPC/E7-E8\_E&M/B-687 दिनांक-28.08.2024 द्वारा के ई. एंड एम. संवर्ग के मुख्य प्रबन्धक/ई७ ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों का पदोन्नत ₹ 1,20,000-2,80,000/- के वेतनमान में महाप्रबंधक (ई एंड एम)/ई८ ग्रेड में के पद पर किया गया एवं उनके नाम के समक्ष उल्लिखित सीईएल की अनुषमी कंपनियों में स्थानांतरण किया गया। एतद्वारा सीसीएल से उन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।

Pursuant to CIL's Office Order no. CIL/C-5A(V)/DPC/E7-E8\_E&M/B-687 dated 28.08.2024, wherein the following executives of E&M discipline have been promoted to the post of General Manager (E&M) in E8 grade in the scale of pay of ₹ 1,20,000-2,80,000/- and transferred to other subsidiaries as mentioned against their name are hereby released from CCL w.e.f 07.09.2024

SN	EIS No	Name(Sri/Smt)	Place of Posting	Company on promotion
1.	90167313	Ajay Kumar	S&IC Deptt., HQ	SECL
2.	90167289	Shambhu Sharan Prasad	Piparwar Area	SECL
3.	90167271	Sanjiv Kumar Jha	Argada	ECL

अपने वर्तमान कार्यस्थल से विरमित होने पर, वे संबंधित अनुबंधी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।

On being released from current place of posting, they are advised to report to the respective **CMD of concerned subsidiaries**.

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, परिवीक्षा पर होंगे।

On Promotion, the above executives will be on probation for a period of one year at the first instance or till the date of superannuation, whichever is earlier.

उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी। जब वे संबंधित सहायक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेंगे और वास्तव में पदोन्नति पर उच्च पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

The promotion of the above executives will be effective on and from the date they will report to CMD of the concerned subsidiary and actually assume charge of the higher post on promotion. Further assignment will be decided by CMD of the concerned subsidiaries.

संबंधित अधिकारियों को सीआईएल द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से साठ(60) दिनों के भीतर प्रोन्तत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।

The above executives have to join the promoted post within 60(Sixty) days, from the date of issue of सीआईएल order, failing which the promotion order shall stand cancelled ab initio.

क. प. प.

*[Signature]*

यह आदेश माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की रिट याचिका संख्या 19607 (w) और 2017 की संख्या 9754 (w), जो (बानी सिंह राणा और अन्य) एवं पीयूष कुमार सिंघा और अन्य बनाम सीआईएल और अन्य के अंतिम निर्णय का पालन करेगा।


This order shall abide by the ultimate adjudication in the Writ Petition nos 19607(W) of 2017 with no. 9754(W) of 2017 (Bani Singh Rana & Ors. with Pijush Kumar Singha & Ors. vs CIL & Ors.) before the Hon'ble High Court of Calcutta.

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में APAR भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

The above Executives must fill the new APAR within a period of 15 days of taking up the new assignment.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

  
(अंकुर गौतम)  
उप-प्रबंधक (का - अधि. स्था.)

#### वितरण ई ऑफिस द्वारा :

1. निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (वित्त)/, सीसीएल, रांची।  
Dir(T/O)/Dir(T/P&P)/Dir(Pers.)/Dir(Pers.)/Dir (Fin.), CCL Ranchi.
2. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।  
TS to CMD, CCL Ranchi.
3. सीएमडी के तकनीकी सचिव , एसईसीएल/ईसीएल  
TS to CMD, SECL/ECL
4. महाप्रबंधक(कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता ।  
GM(Pers.), CIL, Kolkata.
5. महाप्रबंधक, पिपरवार/अरगड़ा क्षेत्र।  
General Manager, Piparwar/Argada Area.
6. महाप्रबंधक(ई.एंड एम. I & II)/ (सतर्कता) /(अधि. स्था.)/(सामाजिक सुरक्षा)/(प्रणाली)/(वित्त), सीसीएल, रांची।  
General Manager(E&M I&II)/(Vigilance)/(P-EE)/(Social Security)/(System)/(Finance), CCL Ranchi.
7. स्टाफ ऑफिसर(कार्मिक) /क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक,पिपरवार/अरगड़ा क्षेत्र।  
SO(P&A)/AFM, Piparwar/Argada Area.
8. मुख्य प्रबंधक/ वरीय प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर)/ (स्था.), सीसीएल, रांची ।  
Chief Manager/Sr. Manager (Fin-EPR)/(Fin-Estb.), CCL Ranchi.
9. प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, रांची।  
Manager (P), CMD Sectt., CCL Ranchi.
10. प्रबन्धक/ उप-प्रबंधक (कार्मिक – अधि. स्था.),सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।  
Manager/Dy. Manager (P-EE), CCL Ranchi- for necessary updation.
11. प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।  
Manager (Fin-CMPF), CCL Ranchi.
12. सहायक. प्रबंधक (कार्मिक – अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।  
The Asst.Manager (P-EE/CR),CCL Ranchi.- with a request to upload this order in the CCL website.
13. संबंधित अधिकारी।  
Person Concerned.
14. व्यक्तिगत फ़ाइल।  
Personal File.